रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD NO D L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

CENTRAL S. [illegible] LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

सं. 111] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2001/फाल्गुन 22, 1922

No. 111] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2001/PHALGUNA 22, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 176(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कांडला पत्तन के न्यासी बोर्ड में निदेशक (विकास) के स्थान पर निदेशक (पीएचआरडी), पोत परिवहन मंत्रालय को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 24-5-2000 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 489(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2 उक्त अधिसूचना में क्रम सं 4 के सामने "निदेशक (विकास), जल भूतल परिवहन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "निदेशक (पीएचआरडी), पोत परिवहन मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. पी टी-18011/6/99-पी टी]

के. वी राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2001

G.S.R. 176(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Director (PHRD), Ministry of Shipping on the Board of Trustees for the Port of Kandla *vice* Director (Development) as a trustee and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G S R. No 489(E) dated 24-5-2000

2. In the said notification against the Serial No. 4 for the words "Director (Development), Ministry of Surface Transport", the words "Director (PHRD), Ministry of Shipping" shall be substituted.

[F. No. PT-18011/6/99-PT]

K. V RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुंबई पत्तन के न्यासी बोर्ड में संयुक्त सचिव (पत्तन) के स्थान पर संयुक्त सचिव (नौवहन), पोत परिवहन मंत्रालय को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 31-3-2000 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 277(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 7 के सामने "संयुक्त सचिव (पत्तन), जल भूतल परिवहन मंत्रालय" शब्दों के स्थान पर "संयुक्त सचिव (नौवहन), पोत परिवहन मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. पी टी-18011/1/99-पी टी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2001

G.S.R. 177(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Joint Secretary (Shipping), Ministry of Shipping on the Board of Trustees of the Port of Mumbai *vice* Joint Secretary (Ports) as a trustee and makes the following amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G. S R. No. 277(E) dated 31-3-2000

2. In the said notification against the Serial No. 7 for the words "Joint Secretary (Ports), Ministry of Surface Transport", the words "Joint Secretary (Shipping), Ministry of Shipping" shall be substituted.

[F. No PT-18011/1/99-PT]

K. V. RAO, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 178(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3 की उपधारा (6) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन के न्यासी बोर्ड में निदेशक (पत्तन प्रभाग) के स्थान पर अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, तत्कालीन जल भूतल परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की दिनांक 15-11-1999 की अधिसूचना सा.का.नि. सं. 771(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. दूसरे पैरा की तीसरी लाइन में "निदेशक (पत्तन विकास)" शब्दों के स्थान पर "अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. पी टी-18011/1/98-पी टी]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th March, 2001

G.S.R. 178(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (6) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Shipping as a Trustee on the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust *vice* Director (Port Development) as a Trustee and makes the following amendment in the corrigendum notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Surface Transport (Ports Wing) G.S.R. No 771(E) dated 15-11-99

2. In the third line of the 2nd para, the words "Director (Port Development)" shall be substituted by the words "Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Shipping".

[F No. PT-18011/1/98-PT]

K V. RAO, Jt. Secy

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.